न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 21/2025

GCMS No. : 2025/127

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थी**
आनन्द कुमार खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली		1. श्याम सुन्दर खैतावत पुत्र रामगोपाल खेतावत (मालिक) मैसर्स श्री वेंकटेंश एजेन्सी घोसी केरिया दरवाजा रामद्वारा के पास पाली

"प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2)(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011 एवं धारा 51"

उपस्थित :-

अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री नवरत्न अग्रवाल उपस्थित।

-: निर्णय :-

दिनांकः 30/01/2026

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। वक्त बहस खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनुपस्थित रहने से अधिवक्ता अप्रार्थी की बहस सुनी जाकर प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया गया।

प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली में पदस्थापित है एवं राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तिया प्रयुक्त करने के अधिकृत किया गया एवं श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वाास्थ्य सेवाऐं राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक एफएसएस/2020/1041 दिनांक 31.12.2020 के अनुसार प्रार्थी का कार्यक्षेत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली आवंटित किया गया हैं एवं पाली जिलें में आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र प्रार्थी के कार्यक्षेत्र में आते है। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी की हैसियत से दिनांक 22.10.2024 को दौराने गश्त अप्रार्थी की फर्म मैसर्स श्री वेंकटेंश एजेन्सी घोसी केरिया दरवाजा

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

रामद्वारा के पास पाली पर पहुंचा व अपना परिचय देकर परिचय पत्र दिखाया। दुकान में आमजन को विक्रय के लिए लाईट किचन स्पेशल (प्रोपराईटरी फुड) हेतु रखा हुआ था। जिसमें मिलावट का शक होने पर रूबरू गवाहान के सामने लाईट किचन स्पेशल (प्रोपराईटरी फुड) का नमुना लेने कि इच्छा जाहिर की, जिसके लिए मैने दो प्रतियों में प्रपत्र 5ए भरकर दिया जिसकी एक प्रति पर अप्रार्थी संख्या 01, गवाहान एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर करवा कर रसीद प्राप्त की। स्वतंत्र गवाह नहीं होने कि स्थिति में साथ आये खाद्य सुरक्षा अधिकारी भुराराम गोदारा कार्यालय हाजा को गवाह बनाया गया एवं अप्रार्थी को बता दिया की लाईट किचन स्पेशल (प्रोपराईटरी फुड) का नमुना वास्ते एफएसएसए एक्ट के तहत जाचं हेतु ले रहा हुं। प्रार्थी ने गवाहान एवं अप्रार्थी की उपस्थिति में 800 ग्राम लाईट किचन स्पेशल (प्रोपराईटरी फुड) वास्ते जांच हेतु क्रय कर उसकी कीमत 120/– रूपये नकद अप्रार्थी संख्या 01 को देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर अप्रार्थी संख्या 01, गवाह एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर है। अप्रार्थी से खरीदशुदा लाईट किचन स्पेशल (प्रोपराईटरी फुड) को नियमानुसार कंटेनर में पैक कर गवाहान एवं अप्रार्थी की उपस्थित में चार लेबल तैयार किये, जिस पर अप्रार्थी गवाहान एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग पाली का कोड़ एवं सिरियल नम्बर आर–2779 लिखा एंव नमुना विवरण अंकित किया गया। चारों नमुनों को नियमानुसार सिलबंद कर अपने जाब्ते में लिया एवं मौके पर समस्त कार्यवाही कर मौका फर्द तैयार की एवं अप्रार्थी व गवाहान को पढ़कर सुनाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिन्होने स्वयं ने भी पढ़कर सुनकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये व स्वयं प्रार्थी ने भी हस्ताक्षर किये। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म–6 की प्रतिया तैयार की तथा प्रत्येक पर नमुना सील लगाई, नमुना पैकेट मय फार्म नम्बर 6 की प्रति सीलमुहर करके नमुने को खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जोधपुर में जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। अप्रार्थी की फर्म से लिया गया लाईट किचन स्पेशल (प्रोपराईटरी फुड) का नमुना संख्या आर–2779 के संबंध में खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जोधपुर से प्राप्त रिपोर्ट संख्या एलएस/1559/एक्ट/2024/1602 दिनांक 04.11.2024 के अनुसार Sub-standard (अवमानक) पाया गया। जिसकी प्रति अप्रार्थी को जरिये डाक भिजवाकर सुचित किया कि वह उक्त नमुने की जाचं पुनः करवाना चाहते है तो 30 दिन के भीतर सक्षम अधिकारी के समक्ष अपील कर सकते है। जिस पर अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का पत्र व्यवहार एंव जवाब पेश नही किया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा Sub-standard (अवमानक) लाईट किचन स्पेशल (प्रोपराईटरी फुड) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जिला पाली (राजस्थान)

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

किया है, जिसके लिये अप्रार्थी दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थी पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने वक्त बहस प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अप्रार्थी की फर्म से लाईट किचन स्पेशल (प्रोपराईटरी फुड) का नमुना लेते समय खाद्य सुरक्षा मानक के अनुसार सेम्पल नहीं लिया है, जो विधि के अनुसार औचित्यहिन है। अप्रार्थी लाईट किचन स्पेशल (प्रोपराईटरी फुड) का उत्पादन दुकान मे नहीं किया जाता जिस अवस्था में थोक विक्रेता से खरीद किया जाता है उसी अवस्था में आमजन को विक्रय किया जाता है अप्रार्थी द्वारा लाईट किचन स्पेशल (प्रोपराईटरी फुड) में किसी प्रकार की मिलावट नहीं की जाती है। ऐसी स्थिति में लाईट किचन स्पेशल (प्रोपराईटरी फुड) के अवमानक होने का उत्तरदायी अप्रार्थी की फर्म कैसे हो सकती है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र नियम विरूद्ध होने से खारिज फरमावे।

हमने अधिवक्ता अप्रार्थीगण की श्रवणसुदा बहस पर मनन करते हुये पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 22.10.2024 को अप्रार्थी की फर्म मैसर्स श्री वेंकटेंश एजेन्सी घोसी केरिया दरवाजा रामद्वारा के पास पाली से लाईट किचन स्पेशल (प्रोपराईटरी फुड) वास्ते जांच हेतु क्रय कर नियमानुसार नमूना कोड एवं क्रम संख्या आर–2779 अंकित कर सीलबन्द किया गया। पत्रावली में सलंग्न प्रपत्र संख्या 5ए के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रपत्र 5ए में नमुने के संबंध में समस्त जानकारी यथा कोड नम्बर, नमुने का विवरण, अप्रार्थी का नाम, प्रार्थी के हस्ताक्षर एवं गवाह के हस्ताक्षर किये हुए है। अप्रार्थी की फर्म से वास्ते जांच लिये गये लाईट किचन स्पेशल (प्रोपराईटरी फुड) का नमुना कोड संख्या आर–2779 को खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जोधपुर भिजवाया गया, जहां से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी की दुकान से लिया गया लाईट किचन स्पेशल (प्रोपराईटरी फुड) का नमुना Sub-standard (अवमानक) पाया गया, जिसकी प्रति जरिये रजिस्टर्ड डाक अप्रार्थी को भिजवायी गयी। जिसके संबंध में अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का जवाब या पुनः जांच हेतु किसी प्रकार का आवेदन नहीं करने एवं एक माह से ज्यादा समय व्यतित होने से प्रकरण न्यायालय में पेश किया गया। खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जोधपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार भी उक्त लाईट किचन स्पेशल (प्रोपराईटरी फुड) Sub-standard (अवमानक) पाया गया। मौके पर अप्रार्थी द्वारा कोई खरीद बिल पेश नहीं किया ऐसे में विक्रेता फर्म को पक्षकार बनाया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है। प्रार्थी ने नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए प्रकरण न्यायालय के समक्ष पेश किया। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी की फर्म से लाईट किचन स्पेशल

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

(प्रोपराईटरी फुड) का सेम्पल लेते समय नियमानुसार खाद्य सुरक्षा नियमों के मानको को अपनाते हुए सेम्पल लिया एवं खाद्य सुरक्षा प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया जिसमें किसी प्रकार के नियमों की अवहेलना नहीं पायी गयी। जिससे स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी ने अवमानक स्तर के लाईट किचन स्पेशल (प्रोपराईटरी फुड) का उपयोग आमजन को विक्रय किये जाने के कारण खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) के प्रावधानों उल्लघंन है तथा धारा 51 के तहत शास्ति योग्य हैं।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी द्वारा Sub-standard (अवमानक) लाईट किचन स्पेशल (प्रोपराईटरी फुड) का उपयोग आमजन को विक्रय किये जाने के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थी पर 50,000/—रूपये अक्षरे पच्चास हजार रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही अप्रार्थी को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210—चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04—लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करे। निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थी एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। प्रार्थी उक्त आदेश की पालना अप्रार्थी से 1 माह में करवाकर पालना रिपोर्ट एवं चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 30/01/2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पाली (राजस्थान)

(डॉ बजरंग सिंह)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली